

अज अदालत नायब तहसीलदार जालोर

सरकार जरिये पटवारी हल्का माडवला बनाम पकराम पुत्र रोमणजी  
जाति कोटा निवासी माडवला मुकदमा नम्बर 35/2017  
अन्तर्गत धारा 91 आर एल आर एक्ट 1956

निर्णय

दिनांक 14-12-2017

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल हाजिर। जो किसी भी प्रकार का साक्षी/सबूत प्रस्तुत करना नहीं चाहता है। अतः गैर सायल की सहादत बंद की जाती है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। मामले में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का माडवला द्वारा संवत् 2074 की रिपोर्ट पेश कर जाहिर किया गया है कि गैर सायल द्वारा मौजा माडवला के खसरा नं. 1387 रकबा 0.03 है, किस्म ग्रेमिगोचर पर नाजायज तौर से अतिक्रमण कर ब्राह्मणवाडी बनाया है। रिपोर्ट के आधार पर मामला धारा 91 आर एल आर 1956 के तहत दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को धारा 91(3) के तहत नोटिस तलब किया गया। सुनवाई के दौरान गैर सायल की ओर से किसी भी प्रकार का साक्ष्य सबूत पेश करना नहीं चाहता है। उक्त आराजी का अतिक्रमी घोषित किया जाकर भौतिक रूप से बेदखली का आदेश दिया जाता है। वार्षिक लगान 0.45 रुपये का 50 गुणा जुर्माना अंको में 23/- रुपये अक्षरे वेईस रुपये बतौर गैर सायल पर आरोपित किया जाते हैं। पटवारी हल्का को वसूली एवं भौतिक रूप से बेदखली करने हेतु लिखा जावे एवं जुर्माना मांग रा.ले. सं 4 में दर्ज करायी जावे मिसल बाद तामिल फैसला सुमार होकर नम्बर से कम दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 14-12-2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

नायब तहसीलदार जालोर  
पुखाराम मीठा